



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 बैशाख, 1944 (श०)

संख्या - 213 राँची, मंगलवार,

10 मई, 2022 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

11 अप्रैल, 2022

संचिका सं०-5/स०भू० बोकारो (क्षतिपूरक वनरोपण)-109/2021-1238(5)--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषय :-

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-30.03.2022 में मद संख्या-19 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में बोकारो जिलान्तर्गत पेटरवार अंचल के मौजा-मेरुदारू, पुटकाडीह, गरीं, मायापुर के विभिन्न थाना संख्या, खाता संख्या एवं प्लॉट संख्या में स्थित कुल रकबा-155.78 एकड़ गैरमजरूआ खास, किस्म-जंगल भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-1) राजस्व विभागीय संकल्प सं०-4306/रा०, दिनांक-24.10.2014 की कंडिका-2(1) के अनुसार निर्धारित दर के आलोक में प्रस्तावित भूमि का मूल्य विभिन्न दरों पर संगणित सलामी की राशि 9,02,99,896/- (नौ करोड़ दो लाख निन्यानवे हजार आठ सौ छियानवे) रुपये तथा सलामी का पाँच (05) प्रतिशत वार्षिक लगान का पूंजीकृत मूल्य की राशि 11,28,74,875/- (ग्यारह करोड़ अठाईस लाख चौहत्तर हजार आठ सौ

पचहत्तर) रुपये एवं लगान का 145 प्रतिशत सेस का पूंजीकृत मूल्य की राशि 16,36,68,578/- (सोलह करोड़ छत्तीस लाख अड़सठ हजार पाँच सौ अठहत्तर) रुपये अर्थात् कुल देय राशि 36,68,43,349/- (छत्तीस करोड़ अड़सठ लाख तैंतालीस हजार तीन सौ उनचास) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-प्प) की अदायगी पर वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, कॉल ब्लॉक पछवारा नॉर्थ के निमित्त क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

- i. इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा पाँच वर्षों की अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।
- ii. उपायुक्त, बोकारो प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खाता एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे।
- iii. प्रस्तावित भूमि के स्थायी हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। उपायुक्त, बोकारो यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची/संस्था द्वारा भुगतेय होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा।
- iv. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क धार्य होगा। एकरारनामा के निबंधन के समय अधियाची/संस्था से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी।
- v. यदि निर्धारित अवधि के अंतर्गत अधियाची/संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि हस्तांतरण हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची/संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची/संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/ कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
- vi. अन्य सभी शर्तें राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-4306/रा०, दिनांक-24.10.2014 एवं खासमहाल इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार मिश्रा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अनुलग्नक-II

प्रस्तावित भूमि के मूल्य की गणना :-

क्र० सं०	अभिलेख सं०	मौजा का नाम	रकबा(ए० में)	बाजार दर प्रति एकड़(रूपये में)	सलामी की राशि (रूपये में)	सलामी का 5%व्यवसायिक लगान का 25 गुणा पूंजीकृत मूल्य (रूपये में)	लगान का 145% सेस का पूंजीकृत मूल्य (रूपये में)	कुल देय राशि (रूपये में) (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	04/2017-18	मेरुदरू	23.75	6,36,800/-	1,51,24,000/-	1,89,05,000/-	2,74,12,250/-	6,14,41,250/-
02	06/2017-18	पुटकाडीह	27.24	6,43,200/-	1,75,20,768/-	2,19,00,950/-	3,17,56,378/-	7,11,78,096/-
03	07/2017-18	गरीं	22.62	2,35,600/-	53,29,272/-	66,61,600/-	96,59,325/-	2,16,50,197/-
04	09/2017-18	मायापुर	82.17	6,36,800/-	5,23,25,856/-	6,54,07,325/-	9,48,40,625/-	21,25,73,806/-
कुल--					9,02,99,896/-	11,28,74,875/-	16,36,68,578/-	36,68,43,349/-

अर्थात् कुल देय राशि-36,68,43,349/- छत्तीस करोड़ अड़सठ लाख तैंतालीस हजार तीन सौ उनचास रूपये मात्र ।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव ।
